



Helpline

1064



94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- उदयपुर में पुलिस थाना वल्लभनगर का दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) 80 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आरोपी कानिस्टेबल मौके से फरार, तलाश जारी

जयपुर, 27 मार्च, बुधवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर उदयपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये दलाल कमलेश पोखरना (प्राईवेट व्यक्ति) निवासी वल्लभनगर, उदयपुर को परिवादी से 80 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की उदयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि पुलिस थाना वल्लभनगर में पकड़े गये जेसीबी एवं ट्रेक्टर को छोड़ने की एवज में आरोपी कानिस्टेबल बजरंग सिंह मीणा, पुलिस थाना वल्लभनगर द्वारा अपने दलाल कमलेश पोखरना (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से अपने एवं थानाधिकारी के नाम से 1 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी उदयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल के सुपरविजन में एसीबी उदयपुर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम सिंह राठौड़ के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन करवाया जाकर आज उनके द्वारा मय टीम श्री रत्नसिंह राजपुरोहित उप अधीक्षक पुलिस एवं अन्य के ट्रेप कार्यवाही करते हुए दलाल कमलेश पोखरना (प्राईवेट व्यक्ति) निवासी वल्लभनगर, उदयपुर को परिवादी से 80 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी कानिस्टेबल बजरंग सिंह मीणा एसीबी कार्यवाही की भनक लगाने पर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। प्रकरण में थानाधिकारी की भूमिका की भी जाँच की जा रही है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ एवं कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं WhatsApp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।